		टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 09/2012** **शिव प्रसन्न राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 62/आपूर्ति दिनांक 17.1.12 के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 19.10.1011 को शिवप्रसन्न राय, जन वितरण प्रणाली विकेता, बारवें, प्रखंड–दरियापुर की दूकान की जॉच की गयी थी। जॉच के क्रम में निम्नांकित अनियमितता पायी गई थी: 1. दूकान बंद पाई गयी थी। 2. मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन तालिका प्रदर्शित नहीं पाया गया। 3. दूकान के व्यापार स्थल पर लाभूकों की सूचि प्रदर्शित नहीं पाया गया। 4. खाद्यान्न का संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं पाया गया। 5. उपभोक्ताओं को विकेता द्वारा कैशमेमो नहीं दिया जाता है। 6. अशोक ठाकुर, पिता–राय सुहाग ठाकुर, जंगली राय, पिता–हिलन राय, बनारसो राय, पिता–रंगलाल राय, विरेन्द्र राय, पिता–रामा राय, जुगेश्वर ठाकुर, पिता–स्व0 दहाउर ठाकुर तथा चन्देश्वर यादव, पिता–स्व0 भोला राय ने बताया कि कूपन विकेता द्वारा रख लिया गया है। 7. प्रेम सागर राय, पिता–स्व0 भागीरथ राय, शंकर राय, पिता–रामलगन राय, महेन्द्र राय के पुत्र गिरीजा राय, पिता–स्व0 नाथ राय के पास माह सितम्बर में जॉच की तिथि तक कूपन पाया गया। उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 1212 दिनांक 26.12.2011 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। विकेता द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की मॉग की गयी। उन्होंने अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया है कि विकेता द्वारा अधिकतर उपभोक्ताओं का कूपन अपने पास रख लिया गया है तथा अनियमित ढॅग से राशन/किरासन की वितरण किया जाता है। उपभोक्ताओं को कूपन पर निर्धारित मात्रा से कम राशन/किरासन की आपूर्ति की जाती है तथा कीमत अधिक लिया जाता है और कैशमेमो नहीं दिया जाता है। उक्त आरोप के	

संबंध में विक्रेता के द्वारा अपना स्पष्टीकरण के साथ साक्ष्य में सूचनापट्ट तथा भंडार प्रदर्शन पट्ट की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रमाणित साक्ष्य नहीं मानते हुए विक्रेता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को असंतोषजनक बतलाया।

निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए वर्णित अनियमितता के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी अपने दूकान पर सरकार के द्वारा निर्धारित समय तक उपस्थित था। उस समय तक कोई भी जॉच पदाधिकारी अपीलार्थी के दूकान पर नहीं पहुँचा था। यह भी बतलाया कि मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन तालिका प्रदर्शित था, स्पष्टीकरण के साथ छायाचित्र संलग्न की गयी है। दूकान के व्यापार स्थल पर लाभूकों की सूची दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित था, जिसकी कम्प्यूटराइज प्रति स्पष्टीकरण के साथ संलग्न की गयो है। खाद्यान्न का संयुक्त नमूना प्रदर्शित था तथा उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कैशमेमो पर सामग्री दिया जाता था। कैशमेमो की छायाप्रति स्पष्टीकरण के साथ संलग्न की गयी है। यह भी बतलाया कि प्रेमसागर राय, पिता–स्व0 भगीरथ राय को प्रतिमाह नियमित रूप से निगरानी समिति की देखरेख में वितरण उपभोक्ताओं से प्राप्त कूपन के आधार पर करता था। वितरणोपरान्त विक्रेता अपने भंडार एवं वितरण पंजी पर वितरण संबंधी प्रमाण अंकित कराता था। वितरण एवं भंडार पंजी की छायाप्रति संलग्न अपीलार्थी अपने स्पष्टीकरण के साथ संलग्न किया था। उपभोक्ता से प्राप्त कूपन को कार्यालय में जमा करने के बाद ही अगले माह का उपावंटन प्राप्त करता था। अपीलार्थी द्वारा कूपन प्राप्ति की रसीद स्पष्टीकरण के साथ संलग्न की थी। यह भी बतलाया कि शिकायत करने वाले व्यक्तियों में से कतिपय उपभोक्ता अपीलार्थी की दुकान से सम्बद्व नहीं थे। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तो, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दरियापुर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,

सोनपुर के द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 21.11.11 को अपराह्न 1.45 बजे अपीलार्थी की दुकान की जॉच की गयी थी, जिसमें दूकान बंद पाया गया एवं विक्रेता को कार्यावधि में बिना सूचना/अनुमति के अनुपस्थित पाया गया। अपीलार्थी के दूकान से सम्बद्व उपभोक्ताओं, यथा– वकीला राय, पिता–स्व0 पवन कुमार राय, ए.पी.एल., दीपक कुमार, पिता–ववन राय, बी.पी.एल., दया राय, पिता–रामबाबू राय, बी.पी.एल, जय प्रकाश राय, पिता–स्व0 जगन्नाथ राय, बी.पी.एल, शंकर राय पिता–स्व0 ललन राय, बी.पी.एल एवं कपिल देव राय, पिता–देव कुमार राय, बी.पी.एल. के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित प्रपत्र में अपीलार्थी के विरूद्व गंभीर शिकायतों को अंकित करते हुए अपना हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान अंकित किया गया है।

विक्रेता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी से पूछे गए स्पष्टीकरण एवं प्राप्त जवाब के पश्चात् निर्गत प्रश्नगत आदेश में अंकित शिकायतों/अनियमितताओं का खंडन नहीं हो पा रहा है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा शिकायत करने वाले ग्रामीणों को अपीलार्थी की दूकान से सम्बद्व न होने की बात बतायी गयी, लेकिन इस आशय से संबंधित किसी भी बिन्दू का उल्लेख अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब में नहीं किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न छायाचित्र एवं कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जॉच की तिथि को अपीलार्थी के द्वारा अपनी दूकान के आगे मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन तालिका, व्यापार स्थल पर लाभूकों की सूची तथा खाद्यान्न का संयुक्त नमूना प्रदर्शित किया गया था। संभव है इन्हें जॉच की तिथि के बाद अंकित कर फोटोग्राफी की गयी हो।

इस तरह मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुज्ञपन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश में अंकित आरोप प्रमाणित होते हैं एवं इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को बहाल रखा जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर)
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

(हस्ताक्षर)
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 882 दिनांक 22/8/14

प्रतिलिपि– SDO सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।/ NIC पदाधिकारी, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/8/14
वरीय उप समाहर्त्ता
22/8 जिला विधि शाखा, सारण।

SA 9/12